कार्यालय निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत ग्लैण्डर्स एवं फार्सी सर्विलियेन्स योजना के संचालन हेतु दिशा–निर्देश

पत्रांक– /इपीडी0/ग्लैण्डर्स बजट आवंटन/दिशा–निर्देश/2019–20 दिनांक:

समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
पशुपालन विभाग, उ0प्र0।

आप अवगत है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत ग्लैण्डर्स एवं फार्सी बीमारी के सर्विलियन्स की योजना वर्ष 2016–17 में स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इस योजना का कियान्वयन उ0प्र0 के समस्त 75 जनपदों मे किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, मुख्यालय के पत्र संख्या–899/बजट/29(5)/**अनु0–83**/01/2019–20 आर0के0वी0वाई0 दिनांक–07.08.2019 **(अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत)** द्वारा सभी जनपदों को अनुदान संख्या– 83 में बजट आवंटित किया गया है। योजना के वित्तीय प्रबन्धन एवं अनुश्रवण हेतु निम्न दिशा–निर्देश दिये जा रहे हैं।

1– **39– औषधि एवं रसायन मदः–** इस मद में रू0 150.00 प्रति पशु की दर से पशु मालिक को मिनरल मिक्स्चर, डीवर्मर एवं कैल्शियम आदि प्रदान करने हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। यह धनराशि जनपद के ग्लैण्डर्स सीरम सैम्पल के लक्ष्य के आधार पर आवंटित की गयी है। जिन पशुओं का रक्त नमूना ग्लैण्डर्स परीक्षण हेतु एकत्र किया जायेगा, उनके पशु मालिक को यह औषधियां प्रदान की जायेगीं। इसके अतिरिक्त इस मद मे ग्लैण्डर्स रोग से पीड़ित पशुओं के उपचार तथा अश्व प्रजाति के पशुओं में रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिये औषधियां क्रय की जायेगीं। जो अश्व प्रजाति से सम्बन्धित पशुओं मे प्रयोग की जायेगी उनकी सूची निम्नवत है। Inj. Antihistaminic, Inj. Analgesic, Inj. Antibiotic, Inj. Antispasmodic, Ectoparaciticidal Drug, Antiseptic ointment, Antiseptic Lotion, Liver extract with Vitamin B complex, Anthelmintic Drug, Inj. Quinapyramine Sulphate, Rectified Sprit, Pheny1/Disinfectant, Sterlizer Lotion/Hand Sanitizer(Bactericidal,Virucidal) आदि। इस सूची के अतिरिक्त भी अन्य सम्बन्धित आवश्यक औषधियां क्रय की जा सकती हैं।

ग्लैण्डर्स एवं फार्सी बीमारी की पुष्टि के पश्चात यूथेनेशिया हेतु आवश्यक दवायें यथा Inj. Xylazine, Inj. Ketamine, Inj. Intraval Sodium अथवा अन्य सम्बन्धित औषधि का क्रय भी किया जायेगा। विभाग द्वारा औषधियों की अनुमोदित सूची के अतिरिक्त अन्य आवश्यक गुणवत्तापरक औषधियों का स्थानीय स्तर से क्रय नियमानुसार **39– औषधि एवं रसायन मद** से किया जाये।

सीरम सैम्पल लक्ष्य के अनुरूप पशु मालिक को प्रदान करने वाली औषधियों के क्रय के पश्चात ही शेष धनराशि से अन्य संबंधित औषधियां क्रय की जायें। संबंधित औषधियां एवं अन्य सामग्री जेम पोर्टल के माध्यम से ही क्रय की जायें। यदि जेम पोर्टल पर उपलब्ध न हो, उसी दशा में अन्यत्र से क्रय की जायें।

2– **42–अन्य व्यय** : **(अ)** पशुचिकित्साधिकारियों द्वारा गांव जाकर सर्विलियन्स में अश्व पालको को बीमारी के बारे में जागरूक कर प्रशिक्षित करेगें तथा लक्षण मिलने पर नमूना एकत्र करेगें। प्रशिक्षण कार्य हेतु यात्रा व्यय का भुगतान नियमानुसार इसी मद से किया जायेगा।

(ब) रक्त नमूना संग्रह करने हेतु वैक्यूटेनर, सैम्पिल कलैक्शन वायल, सिरिंज, रबर ग्लब्स, पी0पी0ई0 किट, ग्लैण्डर्स पाजिटिव अश्व प्रजाति के पशुओं को यूथनेशिया के पश्चात दफनाने पर होने वाला व्यय आदि के भुगतान की व्यवस्था भी इसी मद से की जायेगी।

(स) ग्लैण्डर्स एवं फार्सी बीमारी के लक्षण के बारे में जागरूकता एवं बचाव के लिये तकनीकी साहित्य I.E.C.(Information, Education & Communication) ,ग्लैण्डर्स बीमारी की रोकथाम हेतु प्रचार प्रसार के लिये बैनर तथा अन्य प्रचार–प्रसार सामग्री का प्रकाशन भी कराया जाना है। मैटीरियल तैयार करने पर व्यय धनराशि का भुगतान मानक मद **42– अन्य व्यय** से किया जायेगा।

उपरोक्त दिशा–निर्देशों का अनुपालन वर्तमान मे प्रचलित उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियम, वित्तीय सीमा एवं अन्य आदेशों के अन्तर्गत किया जाना सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी का दायित्व रहेगा। इस योजना मे लगातार सर्विलियेन्स कार्य किया जायेगा तथा रिपोर्ट निदेशालय को प्रेषित की जायेगी। योजना के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा तकनीकी दिशा निर्देश पूर्व में जारी किये जा चुके हैं। योजना का परिचालन कर तत्सम्बन्धी व्यय सुनिश्चित किया जाये। व्यय के पश्चात इसकी सूचना तत्काल योजनाधिकारी डा0 एस0 के0 अग्रवाल, संयुक्त निदेशक, (मो0नं0 9839072095) को मेल–आई0डी0 gfssahd16@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित करें।

उक्त आवंटित धनराशि प्रत्येक दशा में 30 सितम्बर, 2019 तक व्यय करना सुनिश्चित करें।

(डा0एस0के0श्रीवास्तव)
निदेशक
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र।

पत्रांक– 117 /इपीडी0/ग्लैण्डर्स बजट आवंटन/दिशा–निर्देश/2019–20 दिनांकः 9.8.19

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
2– नोडल अधिकारी (आर0के0वी0वाई) पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3– नोडल अधिकारी (आर0के0वी0वाई) कृषि विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4– वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5– समस्त मण्डलीय अधिकारी ग्रेड–2, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
6– विशेष सचिव, पशुधन, उ0प्र0 शासन।

श्री नवीन गुप्ता

(डा0एस0के0श्रीवास्तव)
निदेशक
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र।